

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर
क्रमांक एफ.4 (ई) (1) (6) / अलेसे-111/ 957 - 1005

दिनांक :- 16.5.2012

आदेश संख्या 50 / 2012-13

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार शीघ्री भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2008 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंसानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थियों को राज. अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार परीक्षाधीन कनिष्ठ लेखाकार के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रुपये 10000/- प्रति माह के स्थाई पारिश्रमिक पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि वे उप निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, के0आर0 20, सिविल लाइन्स, जिला परिषद के पीछे, कोटा पर दिनांक 21.05.2012 को प्रातः 9.30 बजे प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति दें। प्रशिक्षण अवधि 13 सप्ताह की होगी तथा इस अवधि में उनको देय स्थाई पारिश्रमिक आदि का भुगतान संस्थान द्वारा किया जावेगा। 2 वर्ष की परीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् पे-बेण्ड (2) 9300-34800 में ग्रेड पे 3200 एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे। उक्त प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवारणीय है अतः प्रशिक्षणार्थी को ठहरने आदि की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी।

क.स.	मेरिट क्रमांक	नाम / पिता का नाम	श्रेणी	जन्म तिथि
1	2	3	4	5
1.	01	जितेन्द्र कुमार पुरोहित पुत्र श्री भंवर लाल पुरोहित (रोल न0105313)	Gen	07.04.1972
2.	03	श्रीकिशन पुत्र श्री नरसिंह दास (रोल न0402287)	SC	06.01.1976
3.	04	राजुराम पुत्र श्री भंवरराम (रोल न0 104659)	Gen	01.07.1981
4.	05	मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री रामकिशोर मीणा (रोल न0 734924)	ST	07.08.1987
5.	08	कृष्ण कुमार जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन (रोल न0 300197)	Gen	02.01.1981
6.	09	सुनील कुमार मीना पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीना (रोल न0 707256)	ST	01.07.1988
7.	10	गिराज प्रसाद मीणा पुत्र श्री रामनिवास मीणा (रोल न0710671)	ST	20.07.1988
8.	11	राजीव बुडानिया पुत्र श्री भंवर लाल बुडानिया (रोल न0302478)	OBC	16.10.1973
9.	12	राज कुमार पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता (रोल नं0 710578)	Gen	03.03.1974
10.	13	रामअवतार पुत्र श्री केशव दास (रोल न0726454)	OBC	21.12.1969
11.	14	कमलेश कुमार चौहान पुत्र श्री रामगोपाल चौहान (रोल न0502842)	OBC	26.01.1976
12.	15	सुभाष चन्द शर्मा पुत्र श्री परशुराम कटारा (रोल नं0 203148)	Gen	24.07.1986
13.	16	योगेश कुमार पुत्र श्री हरिशंकर (रोल न0 304199)	Gen	22.10.1982
14.	17	कुमार पाल जैन, पुत्र श्री विमल चन्द जैन (रोल न0 203242)	Gen	08.02.1978
15.	18	जीतेन्द्र सिंह छाबडी पुत्र श्री महेन्द्र सिंह (रोल नं0 201908)	Gen	20.11.1983
16.	19	आशाराम पुत्र श्री प्रभुराम रैगर (रोल नं0 705527)	SC	02.10.1973
17.	20	राजीव बंसल, पुत्र श्री कालूराम बंसल (रोल न0 304730)	Gen	19.11.1979
18.	21	ऋषि कुमार मीना पुत्र श्री मनीराम मीना (रोल न0 711060)	ST	02.03.1986
19.	22	चेतन कुमार वासवानी पुत्र श्री नन्द लाल (रोल न0 501197)	Gen	03.07.1975
20.	23	महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री पवन कुमार शर्मा (रोल नं0 713456)	Gen	10.08.1972
21.	24	दयानन्द मीणा पुत्र श्री बाबूलाल मीणा (रोल नं0 732943)	ST	27.11.1984
22.	25	मनीष बल्दवा पुत्र श्री मूलचन्द बल्दवा (रोल न0 104130)	Gen	26.06.1980
23.	26	नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चम्पालाल (रोल न0 301591)	Gen	25.12.1980
24.	27	सुरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री शान्तिनिल जैन (रोल न0 102440)	Gen	01.07.1982
25.	28	मुकेश कुमार वर्मा पुत्र श्री बिरवी चन्द वर्मा (रोल न0 403749)	OBC	17.08.1976
26.	29	अशोक कुमार हिमताराम प्रतापत (रोल न0 401894)	OBC	01.07.1984
27.	30	भंवर लाल शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा (रोल न0 724992)	OBC	20.09.1968
28.	32	नरेन्द्र कुमार पारीक पुत्र श्री बजरंग लाल पारीक (रोल न0 725784)	Gen	07.09.1978

29.	33	रामावतार कल्याण पुत्र श्री मानाराम कल्याण(रोल नं० 705075)	SC	01.07.1972
30.	34	चन्द्रशेखर आजाद सैनी पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद सैनी(रोल नं० 707690)	OBC	31.12.1974
31.	35	नीरज तिवाडी पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार तिवाडी (रोल नं० 725399)	Gen	28.04.1981
32.	36	पुष्कर मीणा पुत्र श्री लक्ष्मण लाल मीणा(रोल नं० 601090)	ST	07.06.1985
33.	37	दिनेश कुमार वर्मा पुत्र श्री शंकर लाल वर्मा (रोल नं० 105244)	SC	09.09.1982
34.	38	महावीर प्रसाद बैरवा पुत्र श्री चिरंजी लाल बैरवा (रोल नं० 502001)	SC	01.07.1987
35.	39	अरविन्द बोथरा पुत्र श्री भूरचन्द बोथरा(रोल नं० 402724)	Gen	17.03.1978
36.	40	हंसराज मीणा पुत्र श्री लालमन मीणा(रोल नं० 707750)	ST	01.08.1986
37.	41	मुकेश कुमार बागडी पुत्र श्री सोहन लाल बागडी(रोल नं० 300478)	SC	16.10.1978
38.	42	रतन लाल मेघवाल पुत्र श्री कुनणा राम मेघवाल(रोल नं० 301339)	SC	04.08.1984
39.	43	सुशील कुमार वर्मा पुत्र श्री बंशीलाल बैरवा(रोल नं० 715822)	SC	07.01.1985
40.	44	पूर्णचन्द पुत्र श्री मामराज(रोल नं० 301634)	SC	10.06.1985

उपरोक्त अभ्यर्थियों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जा रही है :-

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
2. यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में अधिकृत निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन है।
3. यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक, आरक्षी, सी.आई.डी. (सीबी) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण- पत्र प्राप्त होने की शर्त पर है।
4. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के सगुण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
5. अभ्यर्थियों को परीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर उन्हें उक्त सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
6. परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की परीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते यथा (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होंगे।
7. परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार उन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
9. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है परन्तु राज्य सरकार उन्हें विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण/अर्हता प्राप्त कर लेने पर एवं अन्य रूप से स्थायीकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब भी उपयुक्त स्थायी रिक्त पद उपलब्ध होंगे इनको राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थायी आधार पर नियुक्त कर सकेगी।
10. उक्त नियुक्तियों गानगीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

11. उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम-1963 के नियम-32 (2) के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना तथा निर्धारित प्रपत्र (फार्म) में अनुबन्ध पत्र भरकर देना अनिवार्य होगा।

12. यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में दी गई परिलब्धियों एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दो गुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

उपरोक्त अभ्यर्थी आदेश की पालना में उक्त प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित तिथि को यथासमय निश्चित रूप से उपस्थिति देकर इस विभाग को सूचित करेंगे अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्रवाई की जावेगी।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट क्रमांक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें।

संलग्न:- 1 अनुबन्ध पत्र

निदेशक

क्रमांक एफ.4 (ई) (1) (6)/अलेसे-111/ 957 - 1005

दिनांक :- 16.5.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक(क-2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, ह.च.मा.राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान, जयपुर।
5. श्री.....

..... को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे निर्धारित तिथि को प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थित होकर उपस्थिति रिपोर्ट संस्थान के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। (रजिस्टर्ड)

6. उप निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, के0आर0 20, सिविल लाइन्स, जिला परिषद के पीछे, कोटा को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अभ्यर्थियों की उपस्थिति से पूर्व दस रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध पत्र जो कि अभ्यर्थी को सीधे ही नियुक्ति आदेश के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, प्राप्त कर प्रशिक्षण केन्द्र में प्रस्तुत उपस्थिति रिपोर्ट, के साथ संलग्न करके निदेशालय को प्रेषित करावें।
7. निजी सहायक, निदेशक।
8. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
9. रक्षित/निजी पत्रादली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II)

BOND TO BE EXECUTED BY GOVERNMENT SERVANT REQUIRED TO UNDERGO TRAINING ON RS.10/- NON JUDICIAL STAMP PAPER

This bond is made on the _____ date of 2012 by _____ Son of Shri _____ resident of _____ appointed to the post of ACCOUNTANT/JUNIOR ACCOUNTANT (hereinafter called the trainee) of the First Part and _____ Son of Shri _____ resident of _____ (First Surety); and _____ Son of Shri _____ resident of _____ (Second surety) hereinafter called collectively the sureties of the second part in favour of the Governor of the State of Rajasthan (hereinafter called the Government).

Whereas the Governor has selected the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT/JUNIOR ACCOUNTANT.

And whereas in accordance with Rules it is necessary for the trainee, before assuming independent charge of the post for which he has been also selected to undergo training for a period of _____ weeks.

And whereas the Government have agreed to place the trainee under training on the terms hereinafter mentioned and on the condition that the sureties shall give security for the due performance by the trainee of the said terms.

And whereas the sureties have agreed to give security for the due performance by the trainee of the said terms in the manner hereinafter after appearing.

Now this deed witnesses as follows:-

(1) In consideration of the Government selecting the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT/JUNIOR ACCOUNTANT and arranging for his training in accordance with the Rules, and in pursuance of the said agreement, the trainee hereby covenants with the Government that during the period of such training and within a period of one year after the completion of such training, he shall not resign the post for which he has been selected as aforesaid, nor shall he take up any employment other than post for which he has been so selected.

(2) For the consideration aforesaid in pursuance of the said agreement the trainee and the sureties agree that if, during the period of training or within a period of one year after the completion of training, the trainee shall resign or take other employment in contravention of clause (I) above, the trainee and the sureties shall jointly and severally pay to the Government the whole of the emoluments paid by the Government to the trainee during the period of his training together with other expenses incurred by the Government thereon but excluding the amounts paid to the trainee by way of traveling and daily allowances under the relevant rules:

Provided that the trainee and the Prities shall not be required so to pay the emoluments paid to the trainee during the period of his training, if the training imparted to the trainee, in the opinion of the Government, likely to provide useful in the new appointment also.

In witness whereof this bond has been signed by the trainee and the sureties the day in year above written.

Signed by the Trainee:

Witness (I)

Witness (II)

Signed by the First Surety

Witness (I)

Witness (II)

Signed by the Second Surety

Witness (I)

Witness (II)

Accepted
D.T.A.